



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-Section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 512]
No. 512]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, अक्टूबर 6, 1988/अश्विन 14, 1910
NEW DELHI, THURSDAY, OCTOBER 6, 1988/ASVINA 14, 1910

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में
रखा जा सके

Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a
separate compilation

मंत्रिमण्डल सचिवालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 5 अक्टूबर, 1988

का. आ. 927 (अ):—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 77 के खंड (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत सरकार (कार्य आर्बंटन) नियम, 1961 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:—

(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम भारत सरकार (कार्य आर्बंटन) (एक सौ अठानवेंवां संशोधन) नियम, 1988 है।

(2) ये तुरन्त प्रवृत्त होंगे।

2. भारत सरकार (कार्य आर्बंटन) नियम, 1961 में,—

1. प्रथम अनुसूची में,—

(क) "1क. नागर विमानन और पर्यटन मंत्रालय" शीर्षक के नीचे निम्नलिखित उपशीर्षक अन्तः स्थापित किए जाएंगे, अर्थात्:—

"(i) नागर विमानन विभाग

(ii) पर्यटन विभाग"

(2) द्वितीय अनुसूची में,—

(क) (i) "नागर विमानन मंत्रालय" शीर्षक और उसके नीचे की प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित शीर्षक, उपशीर्षक और प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात्:—
"नागर विमानन और पर्यटन मंत्रालय
क. नागर विमानन विभाग

1. वायुयान और विमान नौचालन; हवाई-अड्डा की व्यवस्था; हवाई यातायात और हवाई अड्डों का, विमान नौचालन से संबंधित स्वच्छता व्यवस्था के नियंत्रण के सिवाय विनियमन और संगठन।

2. वायुयान की सुरक्षा के लिए बीकन तथा अन्य व्यवस्थाएं।

3. वायुमार्ग से यात्रियों और माल का वहन।

4. इंटरनेशनल सिविल एवियेशन ऑर्गनाइजेशन (आई. सी. ए. ओ.)।

5. इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन (आई. ए. टी. ए.)।

CABINET SECRETARIAT

NOTIFICATION

New Delhi, the 5th October, 1988

S.O. 927 (E).—In exercise of the powers conferred by clause (3) of article 77 of the Constitution, the President hereby makes the following rules further to amend the Government of India (Allocation of Business) Rules, 1961, namely :—

1. (1) These rules may be called the Government of India (Allocation of Business) (One hundred and ninety eight) Amendment Rules, 1988.

(2) They shall come into force at once.

2. In the Government of India (Allocation of Business) Rules, 1961 :—

(1) in the First Schedule, —

(a) under the heading "1A. Ministry of Civil Aviation and Tourism (Nagar Vimanan aur Paryatan Mantralaya)", the following sub-headings shall be inserted, namely :—

"(i) Department of Civil Aviation (Nagar Vimanan Vibhag).

(ii) Department of Tourism (Paryatan Vibhag).";

(2) in the Second Schedule, —

(a) (i) for the heading "MINISTRY OF CIVIL AVIATION (Nagar Vimanan Mantralaya)" and the entries thereunder, the following heading, sub-headings and entries shall be substituted, namely :—

"MINISTRY OF CIVIL AVIATION AND TOURISM (Nagar Vimanan aur Paryatan Mantralaya)

A. DEPARTMENT OF CIVIL AVIATION (Nagar Vimanan Vibhag)

1. Aircraft and air navigation provisions of aerodromes; regulation and organisation of air traffic and of aerodromes excepting sanitary control of air navigation.

2. Beacons and other provisions for the safety of aircraft.

3. Carriage of passengers and goods by air.

4. International Civil Aviation Organisation (ICAO).

5. International Air Transport Association (IATA).

6. Commonwealth Air Transport Council (CATC).

7. Commonwealth Advisory Aeronautical Research Council (CAARC).

8. Corporations established under the Air Corporations Act, 1953 (27 of 1953).

9. Hotel Corporation of India.

6. कामनवेल्थ एयर ट्रांसपोर्ट काउंसिल (सी. ए. टी. सी.) ।

7. कामनवेल्थ एडवाइजरी एरोनाटिकल रिसर्च काउंसिल ।

8. वायु निगम अधिनियम, 1953 (1953 का 27) के अधीन स्थापित निगम ।

9. भारतीय होटल निगम ।

10. मुख्य आयुक्त, रेल सुरक्षा ।

11. भारतीय अन्तर्राष्ट्रीय विमानचतन प्राधिकरण (भा. अ. वि. प्रा.)

12. इस सूची में विनिर्दिष्ट मामलों में से किसी की बाबत विधियों के विरुद्ध अपराध ।

13. इस सूची में विनिर्दिष्ट मामलों में से किसी के प्रयोजन के लिए जांच और आंकड़े ।

14. इस सूची में विनिर्दिष्ट मामलों में से किसी के बारे में फीसों किन्तु इसके अन्तर्गत किसी न्यायालय में ली जाने वाली फीसों नहीं आती हैं ।

15. इस सूची में विनिर्दिष्ट मामलों में से किसी से सम्बद्ध संधियों और करारों का कार्यान्वयन ।

16. भारतीय हेलीकाप्टर निगम ।

17. कृषि विमानन ।

18. नागर विमानन महानिदेशालय ।

19. राष्ट्रीय विमानचतन प्राधिकरण ।

20. इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उड़ान प्रकावमी ।

21. वायुदूत लिमिटेड ।

22. नागर विमानन सुरक्षा निदेशालय ।

ख. पर्यटन विभाग

1. पर्यटन विकास ।

2. भारतीय पर्यटन विकास निगम और उसके अन्तर्गत सरकारी क्षेत्र के होटल या मोटल । इस सूची में विनिर्दिष्ट मामलों में से किसी के प्रयोजन के लिए जांच और आंकड़े ।"

(ii) "पर्यटन मंत्रालय" शीर्षक और उसके नीचे की प्रविष्टियों का लोप किया जाएगा ;

(ख) "कल्याण मंत्रालय" शीर्षक के नीचे प्रविष्टि 32 के पश्चात् निम्नलिखित प्रविष्टि जोड़ी जाएगी, अर्थात्—

"33. अंग्ल-भारतीय समाज के लिए प्रतिनिधित्व"

(प्रार. बेंकटरामन)

राष्ट्रपति

[फा. सं. 74/2/1/88—मंत्रि.]

दीपक दास गुप्ता, संयुक्त सचिव

10. Chief Commissioner of Railway Safety.
11. International Airports Authority of India (IAAI).
12. Offences against laws with respect to any of the matters specified in this list.
13. Inquiries and statistics for the purpose of any of the matters specified in this list.
14. Fees in respect of any of the matters specified in this list but not including fees taken in any court.
15. Implementation of treaties and agreements relating to any of the matters specified in this list.
16. Helicopter Corporation of India.
17. Agricultural Aviation.
18. Directorate General of Civil Aviation.
19. National Airports Authority.
20. Indira Gandhi Rashtriya Uran Akademi.
21. Vayudoot Limited.

22. Directorate, Civil Aviation Security.

B. DEPARTMENT OF TOURISM (Paryatan Vibhag).

1. Development of Tourism.
2. India Tourism Development Corporation and Public Sector Hotels or Motels thereunder. Inquiries and Statistics for the purpose of any of the matters specified in this list.;

(i) the heading "MINISTRY OF TOURISM (Paryatan Mantralaya)" and the entries thereunder, shall be omitted;

(b) under the heading "MINISTRY OF WELFARE (Kalyan Mantralaya)", after entry 32, the following entry shall be added, namely :-

"33. Representation to the Anglo-Indian Community."

(R. VENKATARAMAN)
PRESIDENT

[No. 74/2/1/88-Cab.]
DEEPAK DAS GUPTA, Jt. Secy.

